

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //
(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक.....242...../
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 07/10/2026

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-8 की उपधारा-7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 448/दो-1-1/2000 दिनांक 22.07.2025 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

01. सरल क्रमांक 13 के स्तम्भ क्रमांक 02 श्री मोहित कुमार, 11 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 "सिविल खण्ड" में एवं स्तम्भ क्रमांक 0-4 की कंडिका क्रमांक 01 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 02 निर्मित करते हुये निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है :-

02. "व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवां एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनगवां के रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले समस्त नियमित सिविल एवं विविध अपीलें।"

शेष आदेश यथावत रहेगा।


(सतीश चन्द्र राय)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक.....4979...../
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 07/10/2026

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. फाईलिंग काउंटर अनुभाग, रीवा।
4. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)